



31 3/21


इजराय सीगें से बाद जांच पेश हुआ।
वकील प्रार्थी उपस्थित। इजराय दर्ज रजिस्टर किया जाकर
तहसीलदार माण्डलगढ़ को इजराय की पालना हेतु लिखा
जाकर पत्रावली दिनांक 28.04.2021 को पेश
हो।


उपखण्ड अधिकारी,
माण्डलगढ़

28/4/21


पत्रावली प्रस्तुत हुई, अभे वादी पतिवादी उपस्थित
पैदासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त पधार है।
पत्रावली वास्ते पालना आयन्दा दिनांक 8/7/21 :
को पेश हो। 

8/7/21

पत्रावली प्रस्तुत हुई, अभे वादी पतिवादी उपस्थित
पैदासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त पधार है।
पत्रावली वास्ते पालना आयन्दा दिनांक 29/7/21
को पेश हो। 

13/12/21

इजराय प्रकरण में पालना हो जाने
से अधिवक्ता ने स्वयं उपस्थित होकर
पालना हो जाने की पुष्टि की। अतः
पालना हो जाने से इजराय प्रकरण को
इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़ जिला-मीलवाड़ा

पालना होने से
07/08/21
M/S